

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

जमानत आवेदन संख्या- 11102/2023

-----

सुनिल यादव, आयु 37 वर्ष, पिता-पशुपति यादव, निवासी-ग्राम सुभानपुर भट्टा, डाकघर और  
थाना-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज

..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

प्रवर्तन निदेशालय

..... प्रतिवादी

-----

**सम्माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद**

-----

याचिकाकर्ता की ओर से

: श्री एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री इन्द्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

सुश्री सोनम गुप्ता, अधिवक्ता

श्री शिव पांडे, अधिवक्ता

श्री यश बडकुर, अधिवक्ता

श्री श्रेयस कौशल, अधिवक्ता

सुश्री स्नेह सिंह, अधिवक्ता

सुश्री पिंगी कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से

: श्री अनिल कुमार, अतिरिक्त एसजीआई

श्रीमती चंदना कुमारी, एसी टू अतिरिक्त एसजीआई

श्री प्रियांशु शेखर, एसी टू अतिरिक्त एसजीआई

-----

15 मार्च, 2024 को सी.ए.वी.

12/04/2024 को

घोषित

प्रार्थना:

1. प्रस्तुत आवेदन धारा 439 और 440 के अंतर्गत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत जमानत देने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई है, जो केस संख्या ECIR-04/2022 से संबंधित है, जिसमें धारा 3 के तहत आरोपित किया गया है और धारा 4 के तहत दंडनीय है PML अधिनियम, 2022 ।

मामले के तथ्यात्मक आधार:

2. इस मामले में लगाए गए आरोपों के अनुसार अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में ईसीआईआर/शिकायत इस प्रकार है:

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि इस अधिनियम के तहत जांच धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक मामला दर्ज कर के इसकी शुरुआत की गई। ईसीआईआर संख्या 3/2022 एफआईआर संख्या 85/2020 दिनांक 22.06.2020 पर आधारित है संभु नंदन कुमार, बरहरवा थाना, जिला-साहेबगंज, झारखंड में आरोपी पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने उपरोक्त शिकायतकर्ता को फोन पर धमकी दी कि वह ऐसा न करेबरहरवा

टोल के टेंडर में भाग लेना, तथा मना करने पर शिकायतकर्ता पर आरोपी व्यक्तियों के इशारे पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। इसके बाद आरोप पत्र संख्या 231/2020 दिनांक 30.11.2020 दायर किया गया। राजमहल, जिला साहेबगंज की अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा, एजेंसी ने कई अन्य एफआईआर भी दर्ज कीं उपरोक्त मामले के साथ-साथ मामले से संबंधित अन्य आरोपियों को भी तत्काल मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है।

जांच के दौरान पता चला कि जिन वाहनों में शराब रखी गई थी, उनमें खनन से प्राप्त वस्तुओं (मुख्यतः पत्थर के टुकड़े) को पहुंचने से पहले बरहरवा टोल पार करना पड़ता था मुख्य सड़कों पर खनन किया जा रहा है। यह भी पता चला कि वैध लाइसेंस के तहत खनन के अलावा, साहेबगंज जिले में अवैध रूप से भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है और आस-पास के इलाकों में भी छापेमारी की गई। यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्ति पंकज मिश्रा है। पत्थर के चिप्स ले जाने वाले ट्रकों से अवैध वसूली में संलिप्त अपने सहयोगियों के माध्यम से और पत्थर के चिप्स के खनन पर भी नियंत्रण रखता है और बोल्टर के साथ-साथ कई क्रशर की स्थापना और संचालन, स्थापित साहेबगंज जिले में विभिन्न खनन स्थलों पर उनका लगभग एक निश्चित हिस्सा है सभी खदानों और परिवहन का काम कई व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसमें उनके सहयोगी भी शामिल थे। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते उनका राजनीतिक दबदबा है। जो साहेबगंज के बरहेट से विधायक भी हैं। बैंक की जांच खातों से पता चलता है कि अपराध से करोड़ों रुपए की कमाई हुई है।

ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी तस्वीर को उजागर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय आरोपी पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज अन्य एफआईआर को एक साथ मिला दिया है। अवैध खनन से संबंधित मुद्दों को मौजूदा ईसीआईआर में शामिल किया गया है। इसके अलावा, अवैध खनन का मुद्दा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भी जांच की

जा रही है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा दी गई टिप्पणी इस मामले में पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं और अवैध खनन के मुद्दे से संबंधित विभिन्न एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि वैध लाइसेंस के तहत खनन के अलावा भारी मात्रा में साहिबगंज जिले और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और आरोपी पंकज मिश्रा अवैध रूप से लेवी वसूलने में शामिल है पत्थर के टुकड़े ले जा रहे ट्रकों को अपने साथियों के माध्यम से जब्त कर लिया। आगे आरोप है कि सहयोगियों से कुल 5,34,44,400 रुपये की नकदी बरामद की गई साथ ही मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के करीबी सहयोगी भी शामिल हैं।

वर्तमान याचिकाकर्ता उपरोक्त अभियुक्त का करीबी सहयोगी है। जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अपराध में भाग लिया है अवैध खनन और खनन किए गए पत्थर के चिप्स का अवैध परिवहन। यह भी जांच के दौरान मुख्य आरोपी पंकज और उसके साथियों के बीच संबंधों की पुष्टि हुई है। मिश्रा और राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के खिलाफ मामला कायम किया गया है। याचिकाकर्ता धन शोधन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है और अधिग्रहण, कब्जे, छुपाने और अन्य आरोपियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका जैसा कि कहा गया है, अवैध गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को स्तरीकृत करना अभियोग पक्ष।

वर्तमान याचिकाकर्ता ने एक अन्य आरोपी को उसके अवैध कार्य में सहायता की है। अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति अपराध से 4,28,81,865 रुपये की आय अर्जित की और उसका उपयोग किया नव यतायत द्वारा नियंत्रित नौकाओं के संचालन की निविदा प्राप्त करना समिति, साहेबगंज। निविदा में शामिल कुल पीओसी 8.5 करोड़ रुपये थी। यह भी आरोप लगाया

गया है कि उक्त समिति का संचालन सीधे तौर पर नियंत्रित होता है सह-आरोपी पंकज मिश्रा और दाहू यादव के साथ-साथ वर्तमान याचिकाकर्ता।

इस मामले में, इन आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर संपत्ति अर्जित की है और अपराध की आय को इस तरह से अपने पास रखना मानो वह बेदाग धन हो; वे उक्त अवैध रूप से अर्जित धन/अपराध की आय को भी इस रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं बेदाग। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी याचिकाकर्ता ने न केवल अवैध खनन, व्यापार के माध्यम से अवैध तरीके से अर्जित बड़ी राशि प्राप्त की और पत्थर के चिप्स आदि का परिवहन लेकिन इस तरह के कब्जे में भी आया "अपराध की आय" और अब उसी को बेदाग बता रहे हैं।

वर्तमान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और तदनुसार याचिकाकर्ता अपनी जमानत मंजूर करने के लिए विविध अपराध आवेदन संख्या 2813/2023 पेश किया था लेकिन इसे विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.10.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश, पीएमएल अधिनियम, रांची।

इसलिए जमानत देने के लिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

### याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की ओर से तर्क:

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने दलील दी है अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर:
  - i. याचिकाकर्ता को अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है इसलिए केवल आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध डालने से, पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया अपराध आकर्षित न हों।

- ii. यह आधार लिया गया है कि एफआईआर 22.06.2020 और उसके बाद की है। दो वर्ष बीत जाने के बाद, ईसीआईआर की स्थापना की गई है, इसलिए, यह और कुछ नहीं है एक बाद का विचार ।
- iii. मूल ईसीआईआर के अलावा कुल तीन शिकायतें हैं। ईसीआईआर में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम पंकज हैं मिश्रा, प्रेम प्रकाश और पशुपति यादव। पहली शिकायत में, पंकज मिश्रा: बच्चू यादव और; प्रेम प्रकाश को इस प्रकार रखा गया है दूसरी शिकायत में पशुपति यादव को आरोपी बनाया गया है। एक आरोपी और तीसरी शिकायत में कृष्ण कुमार साहा, भगवान भगत और टिकल कुमार भगत को आरोपी बनाया गया है।
- iv. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम इस सूची में आया है। शिकायत जो स्वयं यह बताती है कि ऐसा कोई आरोप नहीं था जिसके कारण शिकायत को आकर्षित किया जा सके पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध।
- v. यह आधार लिया गया है कि केवल इसलिए कि कुछ धनराशि बैंक खाते में जमा की गई राशि को अपराध नहीं कहा जा सकता है। पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
- vi. इसके अलावा, यह आधार लिया गया है कि यदि संपूर्ण ईसीआईआर/शिकायत यदि इस बात पर विचार किया जाए तो यह पाया जाएगा कि आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ अवैध खनन में संलिप्तता का आरोप है और अवैध खनन कार्य अनुसूचित अपराध नहीं है पीएमएल अधिनियम के तहत अनुसूची अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके तहत भी कोई मामला नहीं है धारा 3 बनाई गई है।

- vii. यह तर्क दिया गया है कि केवल एक मोबाइल फोन और कुछ ढीले कागजात याचिकाकर्ता के घर/कब्जे से बरामद किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरा आरोप ही गलत है कानून की।
- viii. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929, विशेष रूप से पैराग्राफ-281, 282, 317, 401, 467 (डी) के साथ-साथ अन्य पर भी भरोसा किया गया है, पवन डिब्बर बनाम निदेशालय में दिया गया निर्णय 2023 की अपराधिक अपील संख्या 2779 में प्रवर्तन पारित किया गया, विशेष रूप से इसके पैरा 17 और 29 के अनुसार।
- ix. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी समानता का आधार लिया है चूंकि सह-आरोपी व्यक्तियों में से एक, अर्थात् पशुपति यादव को समन्वय द्वारा पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया इस न्यायालय की पीठ।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर कहा है कि दलील दी कि जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय विद्वान अदालत को यह करना चाहिए मामले के कानूनी और कानूनी दोनों पहलुओं पर विचार किया गया है तथ्यात्मक है, लेकिन ऐसा न करने से गंभीर त्रुटि हुई है।
5. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार आगे प्रस्तुतीकरण किया गया है, आधार पर आंदोलन किया गया, यह एक उपयुक्त मामला है जहां याचिकाकर्ता को विशेषाधिकार दिया जाना है जमानत का ।

## प्रतिवादी-ईडी के विद्वान वकील की ओर से तर्क:

6. दूसरी ओर, श्री अनिल कुमार, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के विपरीत पक्ष के लिए-प्रवर्तन निदेशालय ने जोरदार ढंग से कहा है निम्नलिखित आधारों पर नियमित जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया:

- i. याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि मामला यह मामला केवल अवैध खनन का है, बल्कि पूरी शिकायत पर विचार किया जाएगा। विचाराधीन मामले में, विभिन्न एफआईआर को भी विषय बनाया गया है। जांच के निर्देश के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मामले की जांच चल रही थी।
- ii. यह आधार लिया गया है कि वर्तमान मामला विचाराधीन नहीं है। अनुसूचित अपराध, सही तर्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदि सभी एफआईआर जिन्हें ईसीआईआर का विषय बनाया गया है, यदि इस बात पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट है कि आरोप सही है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के तहत आरोप लगाया गया है। दंड संहिता के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए, इस आधार पर कि कथित अपराध अनुसूचित अपराध के दायरे में नहीं आता है, रिकार्ड के विपरीत।
- iii. जांच में यह बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता के साथ पंकज मिश्रा से जुड़े हैं और खाते का संचालन भी करते हैं। वर्तमान याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर खातों में दर्शाया गया है पंकज मिश्रा का ।
- iv. विद्वान एएसजीआई ने विभिन्न पैराग्राफों की सहायता ली है। अभियोजन शिकायत जिसमें सामग्री सामने आई है जाँच करना।

- v. विपक्षी पक्ष ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजीआई ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि मामला जमानत पर विचार का है, इसलिए इसमें दी गई पूरी सामग्री सम्पूर्णता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके अधिनियम, 2002 की धारा 45 (1) के तहत अपेक्षित जुड़वां परीक्षण को पूरा करना और यदि पूरे आरोप पर विचार किया जाएगा तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को इसमें गहराई से संलिप्त पाया गया है। पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी, सह-आरोपी व्यक्ति।
- vi. विद्वान ASGI ने विपक्षी पक्ष-ED के लिए इस आधार पर दलील दी कि सह-आरोपी पशुपति यादव की जमानत अवधि बढ़ाई गई ने दलील दी है कि उक्त सह-आरोपी व्यक्ति की संलिप्तता पूरी तरह से संदिग्ध है। वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता से भिन्न है क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता पंकज का करीबी सहयोगी पाया गया है मिश्रा.
- vii. इसके अलावा, यह भी आधार लिया गया है कि समन्वय पीठ ने पंकज मिश्रा और प्रेम की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी गई प्रकाश, अन्य सह-आरोपी।
- viii. इसलिए यह आधार लिया गया है कि चूंकि समता का आधार है याचिकाकर्ता की ओर से लिया जा रहा है तो आवश्यकता होगी वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता पर विचार करें पशुपति यादव, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश के आने के लिए समानता का लाभ प्रदान करते हुए निष्कर्ष निकाला गया वर्तमान याचिकाकर्ता की अभियुक्त के साथ संलिप्तता जिन व्यक्तियों की जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है और आरोपी व्यक्ति जिनकी जमानत की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है।

- ix. यह तर्क दिया गया है कि पंकज मिश्रा वह व्यक्ति है जो अवैध खनन के मामलों के कर्णधार और वर्तमान याचिकाकर्ता उनके करीबी सहयोगी। इसके अलावा, मिलीभगत भी दर्शाई गई है प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
7. उपरोक्त आधारों के आधार पर, विपक्षी पक्ष ईडी के लिए विद्वान एएसजीआई, प्रस्तुत किया है कि चूंकि वर्तमान द्वारा लगाए गए आरोप की प्रकृति पाचिकाकर्ता पंकज मिश्रा के समान है, इस हद तक कि वह करीबी सहयोगी पाया गया जबकि पशुपति यादव के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है ऐसी स्थिति में तत्काल जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

### विक्षेपण

8. यह न्यायालय, पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क की सराहना करने से पूर्व, पक्षकार, यहां कानून के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करना उचित और उचित समझते हैं अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निहित उद्देश्य और आशय।
9. यह अधिनियम एक व्यापक नीति की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। धन शोधन को रोकने, जब्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कानून अपराध की आय, न्यायनिर्णयन और उसकी जब्ती जिसमें निहितता भी शामिल है केन्द्र सरकार में इसके लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना की जाएगी। धन शोधन से निपटने और मुकदमा चलाने के लिए उपायों का समन्वय करना आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति अपराध के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ, बेसल 1989 में प्रतिपादित सिद्धांतों के वक्तव्य के अनुसार, 14 से 16 जुलाई तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में FATF की स्थापना की

गई थी। 1989, राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का महान कार्यक्रम द्वारा अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प संख्या एस-17/2 के तहत 23.2.1990, संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 तक विश्व ड्रग समस्या का मुकाबला करने के लिए विशेष सत्र का समापन किया, जिसमें आग्रह किया गया राज्य दलों को एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। यह इस बात से स्पष्ट है विधेयक के साथ प्रस्तुतीकरण तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जो 2002 का अधिनियम बन गया। यह इस प्रकार है:

### **"परिचय**

*मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम विधेयक, 1998 पेश किया गया था। विधेयक को मंजूरी दी गई। वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।*

### **उद्देश्यों और कारणों का विवरण**

*दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी*

गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:-

(क) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत एक पक्ष है, में मादक द्रव्य अपराधों और अन्य संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन की रोकथाम तथा ऐसे अपराध से प्राप्त आय की जब्त करने का प्रावधान है।

(ख) 1989 में प्रस्तुत बेसल सिद्धांत वक्तव्य में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई थी, जिनका बैंकों को धन शोधन की समस्या से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए पालन करना चाहिए।

(ग) मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या की जांच के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने चालीस सिफारिशों की हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने के लिए आधार सामग्री प्रदान करती हैं। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं-

(i) गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन शोधन की आपराधिक अपराध घोषित करना;

(ii) रिपोर्ट योग्य लेनदेन के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण की रूपरेखा तैयार करना,

(iii) अपराध की आय की जब्ती,

(iv) धन शोधन को प्रत्यर्पणीय अपराध घोषित करना, और

(v) धन शोधन की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 फरवरी, 1990 के अपने संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना, अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों से मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन के लिए वित्तीय संस्थाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने और ऐसे शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान करती है। (ड) संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 को संपन्न विश्व मादक पदार्थ समस्या का मिलकर मुकाबला करने के विशेष सत्र में धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता है।”

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2002 को तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिनियमित किया गया था। रोकथाम के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता धन शोधन, अपराध की आय की कुर्की, न्यायनिर्णयन और धन शोधन से निपटने और मुकदमा चलाने के लिए इसकी जब्ती आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति अपराध की ।

11. इसमें "अपराध की आय की परिभाषा को संदर्भित करने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे दिया गया है अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (यू) जो इस प्रकार है:

"2(यू) "अपराध की आय" का अर्थ है अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति का मूल्य 3( या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर रखी गई संपत्ति के मूल्य के बराबर 4 [या विदेश में]; [स्पष्टीकरण, संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित

*अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है:]”*

12. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध की आय" का तात्पर्य किसी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि या ऐसे किसी भी अपराध का मूल्य संपत्ति या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई है या रखी गई है, तो देश या विदेश में रखी गई समतुल्य मूल्य की संपत्ति।
13. स्पष्टीकरण में कहा गया है कि शंकाओं के निवारण के लिए यह आवश्यक है कि इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "अपराध की आय" में न केवल अर्जित या अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति, लेकिन कोई भी संपत्ति जो सीधे तौर पर हो सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया हो अनुसूचित अपराध से संबंधित है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण डाला गया है 2019 के अधिनियम 23 के माध्यम से कानून की किताब में दर्ज किया गया।
14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 2 (1) (यू) के अंतर्गत स्पष्टीकरण देने का कारण यह स्पष्टीकरण इस आशय से है कि क्या मूल नियम के अनुसार धारा 2(1) (यू) के प्रावधान के तहत, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अधिगृहीत संपत्ति अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अपराध या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति ली गई है या देश के बाहर आयोजित किया गया लेकिन स्पष्टीकरण के तौर पर अपराध की आय न केवल व्युत्पन्न या अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति, लेकिन कोई भी संपत्ति जो सीधे तौर पर हो सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया हो अनुसूचित अपराध से संबंधित।

15. "संपत्ति" को धारा 2(1) (v) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी हर प्रकार की संपत्ति या परिसंपत्तियां, चाहे भौतिक हों या अमूर्त, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त और इसमें विलेख और शामिल हैं ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, जहां भी स्थित हो.

16. अनुसूची को धारा 2(1) (x) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अनुसूची धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार। "अनुसूचित अपराध" धारा 2(1) (वाई) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

*"2(य) "अनुसूचित अपराध" से तात्पर्य है (1) अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या (ii) अनुसूची के भाग बी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या उससे अधिक है; या (iii) अनुसूची के भाग सी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध।"*

17. यह स्पष्ट है कि "अनुसूचित अपराध" का तात्पर्य धारा 12 के तहत निर्दिष्ट अपराधों से है। अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या अनुसूची के भाग बी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में अंतर्वलित कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या उससे अधिक है; या अनुसूची के भाग सी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध।

18. अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध को परिभाषित किया गया है, 2002 जो इस प्रकार है:

*"3. धन शोधन का अपराध। जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छुपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने या उपयोग करने और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने सहित] से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, वह धन शोधन के*

अपराध का दोषी होगा। [स्पष्टीकरण]- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, (i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का प्रयास करते या जानबूझकर सहायता करते या जानबूझकर एक पक्ष हैं या वास्तव में शामिल पाया जाता है, अर्थात: (क) छिपाना; या (ख) कब्जा; या (ग) अधिग्रहण; या (घ) उपयोग; या (ङ) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश (ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध की आय को छिपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका आनंद ले रहा है।]"

19. उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि "धन शोधन का अपराध" इसका अर्थ है जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर या जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास करता है किसी प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता करता है या जानबूझकर पक्षकार है या वास्तव में शामिल है अपराध की आय से संबंधित, जिसमें उसका छिपाना, कब्जा करना शामिल है, अधिग्रहण या उपयोग और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना धन शोधन के अपराध का दोषी।

20. यह भी स्पष्ट है कि आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि अपराध एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अपराध की आय को छुपाकर या अपने कब्जे में रखकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका आनंद लेना या अधिग्रहण या उपयोग या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या इसका दावा करना किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति।

21. धन शोधन के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम, 2002 की धारा 50, राज्य सरकार की यह शक्ति प्रदान करती हैं कि वह अपने नागरिकों की किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करें। सम्मन, दस्तावेजों की प्रस्तुति और देने के संबंध में अधिकारियों को सूचित करना साक्ष्य। त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"50. समन, दस्तावेजों को पेश करने और साक्ष्य देने आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियाँ।- (1) निदेशक को धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद की सुनवाई करते समय निहित हैं, अर्थात: (क) खोज और निरीक्षण; (ख) किसी [रिपोर्टिंग इकाई के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, (ग) अभिलेखों को पेश करने के लिए बाध्य करना; (घ) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (ङ) गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और (च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है। (2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, चाहे इस अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख पेश करने के लिए। (3) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, और जिस विषय के संबंध में उनकी जांच की जा रही है। उस पर सच बताने या बयान देने और ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य होंगे, जिनकी आवश्यकता हो

सकती है। (4) उप-धारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। (5) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में उसके सामने पेश किए गए किसी भी रिकॉर्ड को, जितनी वह ठीक समझे, जब्त कर सकता है और अपनी हिरासत में रख सकता है: बशर्ते कि एक सहायक निर्देशक या एक उप निदेशक (क) ऐसा करने के अपने कारणों को रिकॉर्ड किए बिना किसी भी रिकॉर्ड को जब्त नहीं करेगा; या (ख) [संयुक्त निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक अवधि के लिए किसी भी ऐसे रिकॉर्ड को अपनी हिरासत में रखेगा।

22. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ उनकी व्याख्या "अपराध की आय" की परिभाषा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई है विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929 जिसमें बेंच में शामिल हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया है अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और मंशा को ध्यान में रखते हुए।

23. गिरफ्तारी के समय पूरी की जाने वाली शर्त की व्याख्या जैसा कि प्रतीत होता है, अपराध में संलिप्त व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। पैराग्राफ 265. त्वरित संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ को संदर्भित किया जा रहा है अंतर्गत:

"265. दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में स्वयं "सहित" अभिव्यक्ति को शामिल किया गया था, जो अपराध की आप से जुड़ी विभिन्न प्रक्रिया या गतिविधि के लिए किए गए संदर्भ का संकेत है। इस प्रकार, मुख्य

प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह प्रतिपादित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी माना जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल प्रगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने पर ही अपराध पूरा हो जाएगा। यह अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावकारिता की कमजोर करेंगा और इसमें "प्रक्षेपण या दावा" अभिव्यक्ति से पहले "और" शब्द की घटना के संबंध में एफएटीएफ द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण की भी अवहेलना होगी। इस न्यायालय ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अनुबंध और अभिसमय यद्यपि नगरपालिका कानून का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, फिर भी न्यायालयों द्वारा उनका संदर्भ लिया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान और अन्य चल रहे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पड़ा गया है। यह भी देखा गया है कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमय को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की संस्थाओं का ध्यान रखता है ए.के. बोपड़ा के मामले में न्यायालय ने कहा कि घरेलू न्यायालयों का दायित्व है कि वे घरेलू कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को उचित सम्मान दें, खासकर तब, जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में कोई कमी हो। इस दृष्टिकोण

को गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल लीगल सर्विसेज अधोरिटी बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।"

24. धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। पैराग्राफ, अर्थात् पैराग्राफ 422, 424, 425, 431, 434 निम्नानुसार पढ़ें:

"422. इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि व्यक्ति को जांच के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान में ज्ञात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति की 2002 अधिनियम की धारा 63 के अनुसार झूठे या गलत होने के लिए दंडित किए जाने की धमकी के साथ दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, 2002 के अधिनियम की संशोधित धारा 50 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन है।

424. इस प्रावधान के द्वारा निर्देशक को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मुकदमों की सुनवाई करते समय 1908 संहिता के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह 2002 के अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में है जो बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए निर्देशक की शक्तियों से संबंधित है। जिस सेटिंग में धारा 50 रखी गई है और धारा 13 के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियों के साथ निर्देशक को सशक्त बनाने का विस्तार स्पष्ट रूप से बहुत विशिष्ट है और अन्यथा नहीं।

425. दरअसल, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हम पहले ही इस निर्णय के पहले भाग में "कार्यवाही" शब्द की व्यापकता पर प्रकाश डाल चुके हैं और माना है कि यह जैसा भी मामला हो, न्याय निर्णय प्राधिकरण या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। फिर भी, उप-धारा (2) प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 20 (3) ऐसे समन के अनुसरण में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में सूचना या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वास्तव में, जिस व्यक्ति को इस तरह बुलाया गया है, वह व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य है जिसके बारे में उसकी जांच की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की उम्मीद है जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) के आधार पर आवश्यक हो सकता है। आलोचना अनिवार्य रूप से उपधारा (4) के कारण है जो यह प्रावधान करती है कि उप-धारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या उस मामले के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, केवल तभी लागू होगी जब इस तरह से बुलाया गया व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का आरोपी हो और उसे खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर

किया जा रहा हो। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। एमपी शर्मा में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ऐसी ही चुनौती पर विचार किया था जिसमें जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किए गए थे जो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन था। इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 20 (3) में दी गई गारंटी "साक्षी अनिवार्यता" के खिलाफ है और यह मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब भी लागू होता है जब व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गवाह बनना साक्ष्य प्रस्तुत करने से ज्यादा कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने आगे कहा: "मोटे तौर पर कहा जाए तो अनुच्छेद 20 (3) में दी गई गारंटी "साक्ष्य-बाध्यकारी" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि यह किसी व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक सीमित है, जो किसी अपराध के लिए सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में बुलाया जाता है। हम संवैधानिक गारंटी की सामग्री को इस मात्र शाब्दिक अर्थ तक सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते। इसलिए इसे सीमित करना गारंटी के मूल उद्देश्य को छीनना होगा और कुछ अमेरिकी निर्णयों में बताए गए तथ्य के बजाय सार को नजरअंदाज करना होगा। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह होना" है। कोई व्यक्ति केवल मौखिक साक्ष्य देकर ही "गवाह" नहीं हो सकता, बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या गूंगे गवाह के मामले में (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह के अन्य तरीके से भी "गवाह" हो सकता है। "गवाह होना" "साक्ष्य प्रस्तुत करने" से अधिक कुछ नहीं है, और ऐसा साक्ष्य होठों से या किसी चीज या दस्तावेज के प्रस्तुत करके या अन्य तरीकों से

प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां तक दस्तावेजों को पेश करने का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि सम्मन पर दस्तावेज पेश करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन यह धारा जिरह के अधिकार को विनियमित करने के लिए है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके स्वाभाविक अर्थ में समझा जाना चाहिए, यानी, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह गवाही है, और साक्ष्य संबंधी बाध्यता उस दबाव को दर्शाती है जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य संबंधी कार्यों को प्राप्त करता है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में मुकदमे के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा, जहाँ तक यह "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल न्यायालय कक्ष में साक्ष्य संबंधी बाध्यता के संबंध में नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्य गवाही तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (जोर दिया गया)

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपराध की आय के बारे में जांच के संबंध में समन

जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जाए। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में है, अपराध की आय के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि स्थिति ऐसा करने की मांग करती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपी के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अपराध की आय होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए कोई जांच नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्त करने वाले के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी

किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और सबूतों के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्त करने वाले) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके द्वारा किए गए कार्यों या चूक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

434. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को दी गई शक्ति अपराध की आय के अस्तित्व और उससे संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है, ताकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की और जब्ती शामिल है, जो अंततः केंद्र सरकार में निहित होगी।

25. उपर्युक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य और 2002 अधिनियम के उद्देश्य जिनके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं धन शोधन के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान करना, तथा इसके लिए उपाय प्रदान करना धन शोधन की रोकथाम। इसमें जब्ती का भी प्रावधान है अपराध की आय, जिसे छुपाया, स्थानांतरित किया या निपटाया जा सकता है किसी भी तरह से जिसके परिणामस्वरूप

संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है 2002 अधिनियम के तहत ऐसी आय को जब्त करना। यह अधिनियम भी बाध्य करता है बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को बनाए रखना लेन-देन के अभिलेख, ऐसे लेन-देन की जानकारी समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना 2002 अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार निर्धारित समय।

26. उपर्युक्त निर्णय में विधेय अपराध पर विचार किया गया है जिसमें अधिनियम 23 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए 2019 के तहत निहित "अपराध की आय" की परिभाषा के तहत धारा 2 (1) (यू), जिसके द्वारा और जिसके तहत, इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट किया गया है इस संदेह को दूर करने के लिए कि, "अपराध की आय" में न केवल संपत्ति शामिल है अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न कोई भी संपत्ति, लेकिन कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधि, जिसका अर्थ है, शब्द "कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है अनुसूचित अपराध से संबंधित कोई भी आपराधिक गतिविधि" के अंतर्गत आएगी अपराध की आय का एक हिस्सा।

27. जहां तक धारा 45 (1) (i) (ii) के तात्पर्य का संबंध है, उपरोक्त प्रावधान गैर-बाधा खंड से शुरू होता है कि किसी भी चीज के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित, किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया गया इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा किया जाएगा, जब तक कि

- i. सरकारी वकील को इसका विरोध करने का अवसर दिया गया है ऐसी रिहाई के लिए आवेदन; और

- ii. जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह नहीं है ऐसे अपराध का दोषी है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जमानत पर रहते हुए।

28. उपधारा (2) उपधारा में निर्दिष्ट जमानत देने पर सीमा निर्धारित करती है। (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त या जमानत देने के संबंध में वर्तमान में लागू कोई अन्य कानून।

उपधारा (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण भी दिया गया है, जो इस प्रकार है संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण दिया गया है कि अभिव्यक्ति "अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना" का अर्थ होगा और होगा इसका सदैव यह अभिप्राय माना जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध, चाहे कुछ भी हो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित विपरीत, और तदनुसार, इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है थारा के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन, बिना वारंट के आरोपी 19 और इस धारा के अन्तर्गत निहित शर्तों के अधीन।

29. धारा 45 के निहितार्थ के बारे में तथ्य की व्याख्या निम्नलिखित द्वारा की गई है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भारत और अन्य (सुप्रा) पैराग्राफ-372-374 पर। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त अनुच्छेदों का उल्लेख इस प्रकार किया जा रहा है:

*"372. धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। धारा 45 की उप-धारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह तब थी, निकेश ताराचंद शाह में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा*

45(1) को, जैसा कि वह तब थी, जमानत पर रिहाई के लिए दो और बर्ते लगाने के मामले में असंवैधानिक घोषित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। जिन दो शर्तों का उल्लेख जुड़वां शर्तों के रूप में किया गया है। वे हैं: (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है

373. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा दोनों शर्तों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है। इसलिए वे समाप्त हो गई हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के कथन पर भरोसा किया गया है।

374. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है कि क्या निकेश ताराचंद शाह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून की पुस्तक में ये दोनों स्थितियों बनी रहीं और यदि हाँ, तो 2002 के अधिनियम की धारा 45 (1) में अधिनियम 13/2018 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। इस तर्क को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के मामले में फैसले के पैराग्राफ 29 में यह टिप्पणी प्रासंगिक है कि न्यायालय द्वारा यह घोषित कर देने के कारण कि कानून असंवैधानिक है, कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया था। इस मामले में न्यायालय निरसन अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय न्यायालय ने निरसन अधिनियम पर ध्यान दिया और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त टिप्पणी की। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुर्शीद पेसिकाका और दीप चंद में की गई व्याख्या पर ध्यान दिया, जिसमें क्ली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन

*और नॉर्टन बनाम रोल्बी काउंटी में अमेरिकी न्यायशास्त्र की व्याख्या शामिल है।”*

30. तत्पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम के मामले में... सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1486 की बड़ी बेंच द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम संघ भारत सरकार एवं अन्य (सुप्रा) ने निर्धारित किया है कि चूंकि निर्दिष्ट शर्तें धारा 45 के तहत जो प्रावधान अनिवार्य हैं, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जमानत पर रहते हुए। यह भी देखा गया है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के तहत न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह मानने का हकदार है कि किसी भी कार्यवाही में अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित, आरोपित व्यक्ति के मामले में धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के साथ, अपराध की ऐसी आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। धारा 45 में उल्लिखित ऐसी स्थितियाँ पीएमएल अधिनियम की धारा 124 के तहत आवेदन के संबंध में भी अनुपालन करना होगा। धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए धारा 12 के तहत पीएमएल अधिनियम के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर प्रभाव डाला गया है। पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ 17 प्रस्तुत है। निम्नानुसार उद्धृत:

*“17. जैसा कि अब तक तय हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं*

हैं और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह मानने का हकदार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत 17 एबीए संख्या 10671/2023 अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत, वर्तमान में लागू अन्य कानूनों की तुलना में पीएमएल अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए पी.सी.

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे कहा है कि अधिनियम, 2002 की धारा 45 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो शर्तें जमानत का लाभ देने से पहले नियम का पालन किया जाना है, जिस पर विचार किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) जिसमें यह पाया गया कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और उसके जेल में रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जमानत.
32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल मामले में दिए गए निर्णय में चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) में पैराग्राफ के अनुसार धारा 284 में यह माना गया है कि प्राधिकरण को 2002 अधिनियम के तहत मुकदमा चलाना है। किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास है "अपराध की आय"। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और

ठोस सबूतों से समर्थन मिले किसी भी मामले में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता का विश्वसनीय साक्ष्य अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि, अधिनियम के तहत कार्रवाई अपराध की आय की कुर्की और जब्ती के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और केन्द्रीय सरकार में निहित होने तक, ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। जहां तक जमानत देने का मुद्दा है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम, 2002 की धारा 45 के संबंध में विजय मदनलाल चौधरी और अन्य में दिए गए फैसले के पैरा-412 अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुपना) में यह निर्णय दिया गया है कि अवलोकन कि राहत चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी प्रकृति सहित कार्यवाही, चाहे वह 1973 संहिता की धारा 438 के अंतर्गत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, अंतर्निहित सिद्धांत और 2002 की धारा 45 की कठोरता लागू होनी चाहिए और बिना 2002 अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए अपवाद को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो एक विशेष कानून है जो कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करता है धन शोधन के खतरे से निपटना।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौतम कुंडू बनाम निदेशालय के मामले में प्रवर्तन (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, (2015) 16 एससीसी के माध्यम से 1 ने पैरा-30 में यह निर्णय दिया है कि इसके अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें पीएमएलए की धारा 45 अनिवार्य हैं और इसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा इसे और मजबूत किया गया है। पीएमएलए धारा 65 के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे इस अधिनियम और धारा 71 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं इसमें प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा किसी अन्य कानून में इससे असंगत कुछ भी निहित होने के बावजूद फिलहाल लागू है। पीएमएलए का प्रभाव

सर्वोपरि है और इसके प्रावधान सीआरपीसी की धाराएं तभी लागू होंगी जब वे धारा 126 के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। यह कार्य।

34. इसलिए, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। धारा के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी इसका अनुपालन किया गया 439 सीआरपीसी. जो धारा 24 के प्रावधानों के साथ मिलकर यह प्रावधान करता है कि जब तक विपरीत साबित होने पर, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि कार्यवाही अपराध के आरोपी धन शोधन में शामिल हैं और यह साबित करने का भार उन पर है कि अपराध की आय शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर निहित है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ 30 इस प्रकार है:

*"30. पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 और पीएमएलए की धारा 71 भी। धारा 65 के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और धारा 71 में प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव तब भी अधिक होगा, जब तक कि वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी न हो। पीएमएलए का प्रभाव अधिक होता है और सीआरपीसी के प्रावधान तभी लागू होंगे, जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। इसलिए, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध की आय शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है।"*

35. अब वर्तमान मामले के तथ्य और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए वर्तमान याचिकाकर्ता जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार है कहा जा रहा है कि इसमें धारा 3 के तत्व लागू नहीं होते हैं। पीएमएलए की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील अभियोजन पक्ष की शिकायत के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अपराध के प्रावधानों के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक उपलब्ध है पीएमएल अधिनियम,

36.36. प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए यह न्यायालय इस विचार पर है कि अभियोजन शिकायत के विभिन्न अनुच्छेद जिन पर भरोसा किया गया है दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए, को यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्या धारा 451 (i) (ii) के तहत तय पैरामीटर सही है या नहीं पीएमएलए की कार्यवाही पूरी की जा रही है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि यह एक है यह उचित मामला है कि नियमित जमानत दी जाए या नहीं। अनुपूरक अभियोजन शिकायत का उल्लेख यहां किया गया है:

1.6 इसके अलावा, माननीय एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन से संबंधित अपराधों के लिए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 125 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस निदेशालय ने उपरोक्त अवधि के दौरान अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों के संबंध में कुछ एफआईआर की भी पहचान की है, जिनमें से 50 एफआईआर का विवरण अभियोजन शिकायत दिनांक 16.09.2022 के पैराग्राफ संख्या 3.4 में दिया गया है, जिन पर निदेशालय ने जांच के दौरान और पूरक अभियोजन शिकायत में भी भरोसा किया है।

**अपराध/आरोप/आरोप शामिल राशि के संक्षिप्त तथ्य पीएमएलए**

3.6 जांच के दौरान, अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ संख्या 1.2 में उल्लिखित एफआईआर की पहचान भी पशुपति यादव (आरोपी संख्या 4), उसके सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव सुनील यादव बच्चू यादव और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई। इसे तत्काल ईसीआईआर में शामिल कर लिया गया है और व्यापक जांच करने के लिए जांच के दायरे में ले लिया गया है।

3.8 धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई जांच के दौरान पता चला कि आरोपी नं.8 सुनील यादव पंकज मिश्रा के करीबी सहयोगियों में से एक है और उसने अवैध खनन, इसके परिवहन और अन्य संबंधित आपराधिक गतिविधियों की सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जांच में पता चला है कि आरोपी सुनील यादव ने अपने भाई दहू यादव उर्फ राजेश यादव के साथ मिलकर पंकज मिश्रा के संरक्षण में साहेबगंज में नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड को नियंत्रित किया था। उन्होंने धोखाचड़ी से बिहार राज्य द्वारा 14.03.2022 को जारी नौका सेवाओं के लिए एक टेंडर हासिल किया, जिसमें मनहारी से साहेबगंज तक का मार्ग शामिल था। यह उनके पर्याप्त प्रभाव, प्रभुत्व और शक्ति के माध्यम से हासिल किया गया था। नीलामी में 8.52 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, और पंकज मिश्रा और दहू यादव राजेश यादव के नियंत्रण में समिति द्वारा कलेक्ट्रेट कठिहार की नजारत शाखा में 4,28,81,865/- रुपये नकद की प्रारंभिक जमा राशि दी गई थी। आरोपी सुनील यादव इस नकदी को व्यवस्थित करने और कठिहार में कलेक्ट्रेट में जमा करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान, 08.07.2022 को आरोपी व्यक्तियों के आवासों और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई।

3.9 इसके अलावा, जांच से पता चला है कि आरोपी सुनील यादव अपने भाई राजेश यादव दाहू पादत के साथ मिलकर अपने अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स/एचीगेट्स से लदे ट्रकों के परिवहन की सुविधा प्रदान

करने में शामिल थे। दिनांक 08.07 2022 की तलाशी के दौरान, पत्थर के चिप्या/पत्थर की मात्रा के साथ ऐसे टुकों के विवरण वाले कई रजिस्टर जब्त किए गए और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 26.12 2022 के आदेश के अनुसार उनके पास होने की पुष्टि की गई।

### **5. जांच के दौरान की गई तलाशी**

जांच के दौरान, 08.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022 और 24.08.2022 को कुल 47 (सैंतालीस) तलाशी ली गई। 08.07.2022 को आरोपी व्यक्ति के आवासीय परिसर शौभनपुर भट्टा, साहेबगंज, काली मंदिर (साहेबगंज मिर्जा-चौकी रोड के बीच स्थित), 816109 के साथ-साथ होटल व्हाइट हाउस, शिवगंज, बंगाली टोला रोड, रेलवे स्टेशन के पास, साहेबगंज, झारखंड 816109 में आरोपी के व्यावसायिक परिसर में तलाशी ली गई। उपर्युक्त तलाशी के दौरान कुल 5,34,44,400 रुपये नकद, 13,32,26,570 रुपये का बैंक बैलेंस, एक अंतर्देशीय जहाज एमएन इंफ्रालिंक-III, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डब्ल्यूबी 1809 है, के साथ ही पांच कशर को पीएमएलए की धारा 17 के तहत फ्रीज कर दिया गया। इनके अलावा दो टुकों को भी जब्त किया गया। उपरोक्त तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज/ रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। उपरोक्त जब्त वस्तुओं और फ्रीज की गई संपत्तियों का विवरण अभियोजन शिकायत दिनांक 16.09.2022 के पैराग्राफ 7 में दिया गया है, जिसमें वर्तमान आरोपी सुरूल यादव के कब्जे वाले आवासीय परिसर चोभनपुर भट्टा, साहेबगंज, काली मंदिर (साहेबगंज मिर्जा-चौकी रोड के बीच स्थित), 816109 से जब्ती शामिल है।

7.3 आगे जांच के दौरान, आरोपी सुनील यादव को भी जांच के उद्देश्य से पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत 28.07.2022, 16.08.2022 और 01.09.2022 को तलब किया गया था। हालाँकि, आरोपी सुनील यादव ने जानबूझकर और जानबूझकर जांच

अधिकारी के सामने अपनी उपस्थिति से परहेज किया और इस तरह इस माननीय अदालत द्वारा 29.10.2022 की एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, जिसके बाद सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाएं की गईं।

### पीएमएलए की धारा 50(2) और 3 के तहत जांचे गए व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण

8.1 पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज एंटरप्राइजेज के मालिक अंकुश राजहंस का दिनांक 07.06.2022 का बयान, (पीसी का आरयूडी नंबर 46 और 47 दिनांक 16.09.2022) इन्फिनिटी से पता चलता है कि उन्हें साहेबगंज में अंतर्देशीय जहाजों के संचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन पंकज मिश्रा, दाहू यादव और अन्य ने उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आगे बताया कि नवयातयात समिति साहेबगंज जिले के विभिन्न स्थानों से अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स को बिहार में पहुंचाती हैं। जिसमें आरोपी सुनील मादव राजेश यादव दाहू यादव के साथ भागीदार हैं। परिवहन दो घाटों समदा घाट और गरम घाट से किया जाता है गरम घाट अधिसूचित पाट नहीं है। लेकिन, इस जगह से बड़ी संख्या में घाटों का संचालन होता है। इस घाट का संचालन मुख्य रूप से दाहू यादव देखता है। इसके अलावा, उन्होंने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान में यह भी कहा है कि दाहू यादव का भाई सुनील यादव दाहू यादव और पंकज मिश्रा के समर्थन से अंजुमन नगर में अवैध खनन करता है।

8.2 राजेश यादव उर्फ दाहू यादव (पंकज मिश्रा के सहयोगी) ने 14.07.2022 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में (पीसी के आरयूडी नंबर 57 दिनांक 16.09.2022), कि वह अपने भाइयों सुनील यादव और अनिल यादव के साथ उनकी फर्म सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में साझेदार हैं, जिसके पास टाइटन 3 और टाइटन 4 नामक दो अंतर्देशीय जहाज हैं। फर्म गरम घाट और समदा नाला घाट, साहेबगंज से मनिहारी घाट, कटिहार तक पत्थर लदे ट्रकों के परिवहन में लगी

हुई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि उनके भाई सुनील यादव उनकी कंपनी आरए यादव ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड में भी उनके भागीदार हैं। अपने बयान में, उन्होंने यह भी कहा कि उनके अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से परिवहन किए गए कई ट्रकों के पास कोई मिरंग बालान नहीं था। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की पारा 50 के तहत दर्ज 16.07 2022 के अपने बयान में, उन्होंने कहा कि पत्थर लदे ट्रकों के परिवहन के लिए अधिकांश धन का उपयोग उनके अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से परिवहन के लिए ट्रकों से नकद किराया प्राप्त करने के लिए किया गया था।

8.3 श्री मुकेश यादव (RUD संख्या 51 of PC दिनांक 16.09.2022) (साहेबगंज निवासी जिसे अभियुक्त द्वारा धमकी दी गई थी) पुत्र श्री परमानंद यादव का बयान दिनांक 07.06.2022 को PMLA, 2002 की धारा 50(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया। उन्होंने बताया है कि दहू यादव एवं बच्चू यादव आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा इनके गिरोह में दर्जनों हथियारबंद सहयोगी हैं तथा दहू यादव एवं बच्चू यादव का धंधा गरमघाट से दिन-रात जहाज चलाना है, जिसके माध्यम से अवैध पत्थर लदे ट्रकों का परिवहन किया जाता है। स्टोन चिप्स लदे ट्रकों से निर्धारित किराया से अधिक किराया लिया जाता है, साथ ही ओवरलोड ट्रक बिना चालान के जहाज पार कर जाते हैं, जिसका परिवहन रात के समय दलालों द्वारा भी किया जाता है। पंकज मिश्रा रंगदारी वसूली में संलिप्त है, तथा पुलिस प्रशासन में अपनी पकड़ का फायदा उठाकर अवैध वसूली करता है। उन्होंने अपने बयान में आगे बताया है कि दिनांक 14.03.2022 को उपरोक्त व्यक्तियों ने सुनील यादव के साथ मिलकर उस पर और अंकुरा राजहंस नामक व्यक्ति पर उस समय गोलीबारी शुरू कर दी, जब वे अपनी नाव को मनिहारी घाट, कटिहार, बिहार में नीलामी में भाग लेने के लिए ले जा रहे थे।

जांच में पता चला है कि आरोपी दहू यादव और सुनील यादव का मालवाहक जहाजों के परिवहन का अवैध कारोबार है, जिसके जरिए वे पत्थर लदे ट्रकों की डुलाई में शामिल हैं। इन ट्रकों को मालवाहक जहाजों के जरिए साहेबगंज से बिहार अवैध रूप से ले जाया जाता है, जो साहेबगंज घाट से मनहारी घाट बिहार के बीच चलते हैं। दहू यादव के भाई सुनील यादव अपने राजेश यादव उर्फ दहू यादव के साथ ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार देखते हैं। यह ट्रांसपोर्टेशन कारोबार सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स नामक फर्म के तहत चलता है। सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स का काम दहू यादव, सुनील यादव और पशुपति यादव सामूहिक रूप से देखते हैं। आरोपी व्यक्ति अपने बेटे यादव और अन्य के साथ मिलीभगत कर मुकेश यादव और उसके साथियों को डराने-धमकाने में शामिल था, ताकि ये लोग दहू टेंडर में भाग न लें।

8.4 पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज हुलास चौधरी के दिनांक 31.08.2022 के बयान से पता चलता है कि उन्होंने पहले नाव पायात सहयोग समिति में कैशियर के रूप में काम किया था। वर्तमान में, वे समिति के सदस्य हैं और इसके कार्यों की देखरेख करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वे राजेश यादव को जानते हैं। राजेश यादव उर्फ दाहू ने पिछले चार वर्षों में नाव यातायात सहयोग समिति के लिए दो निविदाओं में भाग लिया। हुलास चौधरी ने बताया कि टेंडरों के लिए भुगतान राजेश यादव ने किया था।

उन्होंने मार्च 2020-21 में 28 लाख रुपये और मार्च 2022 में अतिरिक्त 8.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा, हुलास चौधरी ने खुलासा किया कि राजेश यादव अपने भाई सुनील यादव के साथ मिलकर घाट पर परिवहन से संबंधित काम का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा, समिति को उनके द्वारा वार्षिक 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

हुलास चौधरी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दिए गए बयान में यह भी खुलासा किया कि राजेश यादव और आरोपी सुनील यादव ने सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खाते से हुलास चौधरी के एसबीआई खाते (नंबर 34673527802) में दो मौकों पर 145 करोड़ और 1.35 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह पैसा नाव यायात सहभागिता समिति के लिए टेंडर हासिल करने के लिए भुगतान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा हुलास चौधरी ने स्पष्ट किया कि सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स से उनके बैंक खाते में जमा की गई रकम और लॉजिस्टिक्स सुनील यादव और राजेश यादव द्वारा प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य निविदाओं की खरीद में किस्तों का भुगतान करना था।

**8.6 सुनील यादव का बयान दिनांक 18.10.2023** माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 17.10.2023 के आदेश द्वारा न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्ति की हिरासत प्रदान की गई थी। पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के प्रावधानों की व्याख्या करके 18.10.2023 और 19.10.2023 को दर्ज किए गए आरोपी व्यक्ति के बयान से पता चलता है कि वह सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के तहत परिवहन गतिविधियों से जुड़ा था। इस फर्म के तहत चलने वाले जहाज साहेबगंज से बिहार तक पत्थर लदे ट्रकों के परिवहन में शामिल थे। आरोपी व्यक्ति और उसके भाई राजेश यादव दाहू यादव ने उन ट्रक ऑपरेटरों से बिहार में उन्हें पास करने के बदले में नकद लिया, यह जानते हुए कि उक्त ट्रकों के पास खनन चालान नहीं थे। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि उनके बैंक खाते और सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के खाते में जमा की गई धनराशि मालवाहक जहाजों के माध्यम से पत्थर से लदे ट्रकों के परिवहन से जुड़ी गतिविधियों से प्राप्त हुई है। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि घाटों पर होने वाली गतिविधियों को बच्चू यादव (आरोपी नंबर 2) और राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने भी देखा था। पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत उनके बयान से यह भी पता चलता है कि

उनके बैंक खातों में 2.80 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा करने के लिए वे जिम्मेदार थे, जिसका इस्तेमाल साहेबगंज नवयातयात सहयोग समिति लिमिटेड के नाम पर नौका सेवाओं का टेंडर हासिल करने के लिए किया गया था।

**यह साबित करने के लिए साक्ष्य का संक्षिप्त सारांश कि अभियुक्त और उसकी संपत्तियां धन शोधन में संलिप्त हैं, साथ ही पीएमएलए के तहत जांच अधिकारी के निष्कर्ष:**

9.2 जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी नंबर 1 पंकज मिश्रा को स्थानीय अपराधियों से सहायता मिल रही है, जिसमें सुनील यादव, राजेश यादव (दाहू यादव) और बच्चू यादव (आरोपी नंबर 2) शामिल हैं, जो अवैध खनन और साहेबगंज जिले से स्टोन चिप्स के अवैध परिवहन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं। इसके अलावा, जांच के दौरान आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी पहचान की गई है। सुनील यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह बच्चू यादव, राजेश यादव और अन्य के साथ सह-अभियुक्त है, जिनके खिलाफ भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं।

9.9 जांच से पता चलता है कि मेसर्स सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स का मुख्य व्यवसाय स्थल और पता शोभनपुर भट्टा, साहेबगंज 816109, झारखंड है, जिसे 17.02.2023 को तीन व्यक्तियों राजेश यादव उर्फ दाहू यादव, सुनील कुमार यादव और अनिल यादव (तीनों भागीदार भाई हैं) के साथ निगमित किया गया था। साझेदारी विलेख से यह देखा जा सकता है कि साझेदारी व्यवसाय की पूंजी व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से आवश्यक और समीचीन समझी जाती है। यह तय किया गया कि साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से तय अनुपात में योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा, व्यापार के लाभ और हानि को साझेदारों द्वारा साझा करने पर सहमति बनी।

i. राजेश यादव, प्रथम भाग की पार्टी 40%

ii. अनिल यादव, दूसरे भाग की पार्टी 30%

iii. सुनील यादव, तृतीय पक्ष 30%

9.17 इसके अलावा, यह भी पता चला है कि सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स (आरोपी संख्या 9) के बैंक खाते में और उसके साझेदार सुनील यादव (आरोपी संख्या 8) के बैंक खाते में उपरोक्त कार्यों जहाजों के संचालन से बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई है।

9.19 जांच से पता चलता है कि कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान सुनील यादव द्वारा अपने एल.टी. रिटर्न में घोषित सकल प्राप्तियां मात्र 2.5 लाख रुपए हैं। 18,91,93,016/- इसके अलावा, जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति और आरोपी फर्म मेसर्स सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के खातों में 20,67,54,220/- रुपये की नकदी जमा की गई है और इसके अलावा अधिकांश नकदी को आईटी रिटर्न में दिखाया गया है। वास्तव में, नकदी में जमा की गई उक्त राशि स्टोन चिप्स के अवैध परिवहन और संबंधित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों से अर्जित की गई थी और उन्हें आईटी रिटर्न में घोषित करना केवल अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने और पेश करने का एक प्रयास है।

### **पीएमएलए के तहत जांच के परिणाम का संक्षिप्त सारांश**

10.3 पंकज मिश्रा अपने साथियों के साथ मिलकर साहेबगंज में पत्थर खनन, कई क्रशर की स्थापना और संचालन तथा ट्रकों और अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से पत्थर के चिप्स के अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखता है। उनके सहयोगियों सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी खनन और परिवहन गतिविधियों में उनका एक निश्चित हिस्सा है। पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और साहेबगंज के बरहेट से विधायक के रूप में राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। सुनील यादव सहित ऊपर वर्णित आरोपी व्यक्ति अपनी फर्म सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के तहत चलने वाले मालवाहक जहाजों और ट्रकों के माध्यम से पत्थर के चिप्स के परिवहन से संबंधित

अपनी अवैध गतिविधियों के साथ-साथ अपने जबरन वसूली के कारोबार को संचालित करने के लिए उनके समर्थन का आनंद लेते हैं।

### 13. धन शोधन अपराध में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं का विवरण-

**सुनील कुमार यादव (अभियुक्त संख्या 8)**

क. आरोपी संख्या 8 अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल है जैसा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में बताया गया है।

ख. आरोपी, साहेबगंज से बिहार तक चलने वाले मालवाहक जहाजों से अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स/एग्रीगेट्स का परिवहन करता था। ऐसे ट्रकों और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की आय का विवरण रखने वाले रजिस्टर भी जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी व्यक्ति को पंकज मिश्र का संरक्षण प्राप्त था, जिसके लिए उसे प्रत्येक ट्रक से पैसे का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था।

ग. आरोपी सीधे तौर पर अपराध की आय 4,28,81,865/- रुपये के इस्तेमाल में शामिल था, जिसे कटिहार के कलेक्ट्रेट की नजारत शाखा में नौका सेवाओं का टेंडर प्राप्त करने के लिए नकद में जमा किया गया था, जिसे नाव यात्रा सहयोग समिति लिमिटेड की ओर से बिहार राज्य द्वारा 14.03.2022 को जारी किया गया था। आरोपी सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के खातों में 2.80 करोड़ रुपये की नकद जमा से भी सीधे तौर पर जुड़ा था, जिसका इस्तेमाल कलेक्ट्रेट, कटिहार को शेष बोली राशि के रूप में शेष भुगतान के लिए भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस तरह की निविदा प्राप्त करने के बाद टेंडर के तहत मालवाहक जहाजों ने अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स का परिवहन शुरू कर दिया है

घ. 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान उनके नियंत्रण और कब्जे वाले बैंक खातों में कुल नकद जमा की पहचान रु. 20,67,54,220/- उक्त नकद जमा कुछ और

नहीं बल्कि अपराध की आय है और अभियुक्त अपने फरार भाई राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के साथ उन्हें अर्जित करने और उपयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष है।

**15. पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में अभियुक्त की भूमिका**

अभियुक्त संख्या 1 से 7 की भूमिकाएं पहले से ही अभियोजन शिकायत दिनांक 16.09.2022, अनुपूरक अभियोजन शिकायत दिनांक 19.06 2023 और 02.09.2023 का हिस्सा हैं और उन्हें यहां दोहराया नहीं गया है। हालांकि, पहले की अभियोजन शिकायतों के समर्थन या पुष्टि में अन्य अभियुक्तों के साक्ष्य और भूमिका को सहमति से पढ़ा जाएगा।

**A. सुनील पादव, आरोपी नं. 8-**

आरोपी सुनील यादव, आरोपी सं. 9, सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एण्ड लॉजिस्टिक्स का पार्टनर है और उसके बैंक खातों का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। आरोपी व्यक्ति, आरोपी सं. 9, मेसर्स सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एण्ड लॉजिस्टिक्स के साथ मिलकर सीधे तौर पर एक पक्ष है और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में जानबूझकर शामिल है। आरोपी व्यक्ति सीधे तौर पर अपराध की आय अर्जित करने से जुड़ा है, जिसकी नकद राशि 20,87,80,720/- रुपये उससे जुड़े बैंक खातों में है और साथ ही नकद राशि 4,28,81,865/- रुपये है, जिसका सीधे तौर पर नाजिर, कलेक्ट्रेट, कटिहार के साथ नौका सेवाओं के टेंडर के भुगतान में इस्तेमाल किया गया था। उक्त टेंडर और साहेबगंज नाव परिवहन सहयोग समिति लिमिटेड के साथ एकरारनामा के बल पर, आरोपी व्यक्ति वांछित माइनिंग चालान के बिना मालवाहक जहाजों के माध्यम से पत्थर लदे ट्रकों पर अवैध परिवहन में आगे लिस रहा। बैंक खातों में 4,38,65,734/- रुपये जमा थे जो नकद जमा नहीं थे और मालवाहक जहाजों के अवैध संचालन की गतिविधियों से जुड़े थे। इस प्रकार, आरोपी व्यक्ति सीधे तौर पर अपराध की आय से जुड़ा हुआ था, जिसकी

राशि 33,21,86,932/- रुपये थी। आरोपी व्यक्ति जानबूझकर आरोपी नंबर 1 पंकज मिश्रा, आरोपी नंबर 1 के साथ एक पक्ष था। 2 अर्थात् बच्चू यादव और फरार आरोपी व्यक्ति अर्थात् राजेश यादव दाहू यादव पर अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स के परिवहन में आरोप लगाया गया है, जिसके बदले में, अपराध की उपरोक्त आय अर्जित की गई थी। आरोपी सुनील यादव साहेबगंज-मनिहारी अंतरराज्यीय फेरी सेवाओं की निविदा प्राप्त करने के लिए नकद 8.52 करोड़ रुपये की अपराध की आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल था। उक्त निविदा आरोपी नंबर 1 पंकज मिश्रा और उसके भाई राजेश यादव दाहू यादव, जो एक भगोड़ा है, के साथ एक पक्ष बनकर प्राप्त की गई थी। आरोपी व्यक्ति ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ स्टोन चिप्स और अन्य समुच्चय से लदे ट्रकों और अन्य वाहनों के परिवहन में सीधे तौर पर लिप्त था और बिना खनन घालान के उनका परिवहन किया, यह जानते हुए कि उक्त गतिविधि अवैध थी। अपराध की आय से जुड़ी उपरोक्त प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि थी और 14.03.2022 को बिहार राज्य द्वारा जारी निविदा से पहले भी जारी थी।

इसलिए, अभियुक्त सुनील कुमार यादव अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसमें इसके छुपाने, अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के साथ-साथ अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना और पेश करना शामिल है। इस प्रकार, अभियुक्त सुनील यादव ने पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के साथ धारा 3 के तहत अपराध किया है और इस तरह, पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

**बी, मेसर्स सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, आरोपी क्रमांक 9** आरोपी मेसर्स सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एक फर्म है, जिसका नियंत्रण उसके नामित साझेदारों सुनील यादव और उसके भाई राजेश यादव दाहू द्वारा किया जाता है। यादव।

आरोपी व्यक्ति जिसका नाम सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स है, ने अपने इंडियन ओवरसीज बैंक खाते 234202000000500 में अपराध की आय 13,43,00,980 रुपये अर्जित की, अपराध की आय 11,11,38,353 रुपये उसके एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50200041248521 में थी। आरोपी द्वारा अपने बैंक खाते में अर्जित अपराध की कुल आय 25,16,62.585 रुपये थी, जिसमें से 19,59,49,520 रुपये नकद अर्जित किए गए थे। आरोपी व्यक्ति आरोपी संख्या 8 यानी सुनील यादव, आरोपी संख्या के साथ एक पक्ष था। 1 अर्थात् पंकज मिश्रा, आरोपी नं. 2 अर्थात् बच्चू यादव और फरार आरोपी व्यक्ति राजेश यादव दाहू यादव को अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से लदे ट्रकों को मालवाहक जहाजों के माध्यम से परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बिना किसी वैध खनन / परिवहन चालान के परिवहन किया गया था। आप को वैध इकाई के रूप में दिखाते हुए आरोपी व्यक्ति के माध्यम से लूटा गया और पत्थर के चिप्स परिवहन के अवैध व्यवसाय को संचालित करने के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया।

इसलिए, अभियुक्त, अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में उपर्युक्त अभियुक्तों के साथ सीधे तौर पर एक पक्ष है, जिसमें दागी संपत्ति का अधिग्रहण, उपयोग, छिपाना और दागी संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना शामिल है और इसलिए, वह पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के साथ धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध का दोषी है और इस तरह पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडित किए जाने योग्य है।

37. पूरक अभियोजन शिकायत से यह स्पष्ट है कि 125 एफआईआर दर्ज की गई हैं अवैध खनन, भंडारण के अपराध के लिए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और परिवहन। निदेशालय ने विभिन्न मामलों में 50 एफआईआर की भी पहचान की है आईपीसी की धारा 411, 414 सहित अन्य धाराओं के साथ-साथ

निम्नलिखित अपराधों के लिए भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4, 5 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1908 की धारा संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साहेबगंज को एक व्यापक जांच के लिए ई.सी.आई.आर. में मिला दिया गया।

38. जांच में पता चला कि याचिकाकर्ता परिवहन करता था अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के टुकड़े/समुच्चय मालवाहक जहाजों से निकाले गए साहेबगंज से बिहार तक। आरोपी व्यक्ति को पंकज का संरक्षण प्राप्त था मिश्रा को यह काम सौंपा गया, जिसके लिए प्रत्येक ट्रक से प्राप्त धनराशि का एक निश्चित हिस्सा दिया गया।

इसके अलावा, यह भी पता चला है कि नौकाओं का संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है नव यातयात समिति, साहेबगंज ने 1.50 करोड़ रुपये की राशि का टेंडर लिया है। 8.5 करोड़ रुपये। जांच में यह भी पता चला है कि पंकज मिश्रा के साथ दाहू यादव उर्फ राजेश यादव (याचिकाकर्ता का भाई), बच्चू यादव, और वर्तमान याचिकाकर्ता सुनील यादव सभी मिलकर नव यातयात सहयोग को नियंत्रित करते हैं समिति लिमिटेड, साहेबगंज और उन्होंने धोखाधड़ी से नौका का टेंडर हासिल किया सेवाएं, जो बिहार राज्य द्वारा 14.03.2022 को मनिहारी से मंगाई गई थी साहेबगंज में अपनी शक्ति, प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को डराने-धमकाने का काम किया।

इसके अलावा याचिकाकर्ता अपराध की आय का उपयोग करने में सीधे तौर पर शामिल है कुल 4,28,81,865 रुपये नकद नजारत में जमा कराये गये। कटिहार समाहरणालय शाखा को नौका सेवा हेतु निविदा प्राप्त करने हेतु नाव यात्रा सहयोग की ओर से बिहार राज्य द्वारा 14.03.2022 को जारी किया गया समिति लिमिटेड याचिकाकर्ता भी रुपये की नकद जमा राशि से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉजिस्टिक्स के खाते में 2.80 करोड़ रुपये जमा किए गए। शेष राशि

का उपयोग कलेक्ट्रेट, कटिहार को भुगतान करने के लिए किया गया था। शेष बोली राशि। उल्लेखनीय है कि इस तरह की निविदा प्राप्त करने के बाद, मालवाहक जहाज अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के टुकड़ों के परिवहन का कार्य शुरू कर दिया।

आगे की जांच से पता चला कि 20,67,54,220 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है। उसके नियंत्रण और व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले बैंक खातों में नकद राशि जमा की गई है 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान। उक्त नकद जमा कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय, और अभियुक्त सीधे तौर पर इसमें शामिल है, साथ ही उसका फरार भाई राजेश यादव उर्फ दाहू यादव, अधिग्रहण और उपयोग में उन्हें।

वर्तमान याचिकाकर्ता सीधे तौर पर अवैध परिवहन को देखता है अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से पत्थर के टुकड़े। ये अंतर्देशीय जहाज अप्रत्यक्ष रूप से पंकज मिश्रा द्वारा अपने साथियों राजेश यादव, राहुल के माध्यम से संचालित यादव, बच्चू यादव और वर्तमान याचिकाकर्ता। पत्थर से लदे कई ट्रक चिप्स/एग्रीगेट्स को खनन के बिना इन अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से पार किया जाता है चालान। इन पत्थर के टुकड़ों को अवैध रूप से खनन किया जाता है और अघोषित रूप से सरकार पर रॉयल्टी चोरी का आरोप लगाया गया है। तलाशी के दौरान रजिस्ट्रों में जिसमें वाहनों का विवरण, यात्राओं की संख्या, एकत्रित भुगतान शामिल है इन ट्रकों से अवैध परिवहन के एवज में नकद राशि भी जब्त की गई है। वाहनों के विवरण का जिला खनन अधिकारी से सत्यापन कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि पत्थर के चिप्स के अवैध परिवहन की पुष्टि हो गई है। इस प्रकार, जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता की मिलीभगत है पंकज मिश्रा और राजेश यादव और दाहू यादव के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल अवैध खनन गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ा हुआ और उक्त याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्ति पंकज मिश्रा को भागने में मदद कर रहा है जबरन

वसूली का धंधा, अवैध खनन और परिवहन गतिविधियाँ साहेबगंज। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से भी भारी लेवी जबरन वसूली जाती है इन खनन क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों को परिवहन की अनुमति दी जाए, खनन किये गये पत्थर और अन्य वस्तुएँ।

यह भी रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास रहा है और एक आदतन अपराधी है, जैसा कि अनुच्छेद संख्या 11.5 में उल्लेख किया गया है अभियोजन शिकायतें जिन पर संचालन के दौरान भी विचार किया जाता है पीएमएलए, 2002 के तहत जांच की जा रही है क्योंकि विभिन्न एफआईआर में अपराध निर्धारित किया गया है अनुसूची के भाग ए के तहत निर्दिष्ट। जांच से यह भी पता चला है कि पंकज मिश्रा को सुविधा और सहायता प्रदान करने के बदले याचिकाकर्ता को मिल रहा है उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सुरक्षा प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता के भाई राजेश यादव उर्फ दाहू यादव का आगे का बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उसने खुलासा किया है कि पंकज मिश्रा से संबद्धता और इसके बारे में भी जानकारी का खुलासा किया नौका सेवाओं का संचालन और अंतर्देशीय नौका के माध्यम से पत्थर के चिप्स का परिवहन अन्य गवाहों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि राजेश यादव और याचिकाकर्ता अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध परिवहन का संचालन कर रहा है। अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर का कारोबार और ट्रक चालकों से उगाही वगैरह।

39.वर्तमान याचिकाकर्ता सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में साझेदार है और बैंक खातों का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता। वह सीधे तौर पर एक पक्ष है और वह जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। सीधे तौर पर अपराध से प्राप्त नकदी राशि के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है उनसे जुड़े बैंक खातों में 20,87,80,720 रुपये नकद हैं कुल राशि 4,28,81,865/- रुपये थी जिसका उपयोग सीधे निविदा के

भुगतान के लिए किया गया था नाजिर, समाहरणालय, कटिहार के साथ नौका सेवाओं का समझौता।

40. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पूरक अभियोजन शिकायत सुनील यादव (वर्तमान याचिकाकर्ता) और सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट्स के खिलाफ दायर किया गया 20.10.2023 को रसद और उसी का संज्ञान लिया गया है विद्वान ट्रायल कोर्ट, और मुकदमा प्रगति पर है।

41. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अवैध परिवहन पर सीधे नजर रखता है अंतर्देशीय मार्ग से पत्थर के टुकड़ों के जहाज। ये अंतर्देशीय जहाज अप्रत्यक्ष रूप से पंकज मिश्रा द्वारा अपने साथियों राजेश यादव, सुनील के माध्यम से संचालित यादव, राहुल यादव और बच्चू यादव। कई ट्रक लदे हुए चिप्स/एग्रीगेट्स को खनन के बिना इन अंतर्देशीय जहाजों के माध्यम से पार किया जाता है इन पत्थर के टुकड़ों को अवैध रूप से और अघोषित रूप से खनन किया जाता है सरकार पर रॉयल्टी चोरी का आरोप लगाया गया है। तलाशी के दौरान रजिस्ट्रों में जिसमें वाहनों का विवरण, यात्राओं की संख्या, एकत्रित भुगतान शामिल है इन ट्रकों से अवैध परिवहन के एवज में नकद राशि भी जब्त की गई है। वाहनों के विवरण का जिला खनन अधिकारी से सत्यापन कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि पत्थर के चिप्स के अवैध परिवहन की पुष्टि हो गई है। इस प्रकार, जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता की मिलीभगत है सुनील यादव, पंकज मिश्रा और राजेश यादव @ दाहू यादव के साथ अवैधानिक साधनों से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी अवैधानिक गतिविधियाँ खनन गतिविधियाँ।

42. इस प्रकार, उपरोक्त आरोप और चर्चा से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता को हल्के में नहीं लिया जा सकता बाहर।

43. अब हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर आते हैं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता आरोपी नहीं है। पूर्ववर्ती अपराध में, इसलिए

धन शोधन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता अपराध। लेकिन विद्वान वकील का तर्क गलत प्रतीत होता है क्योंकि धन शोधन का अपराध अनुसूचित अपराध से स्वतंत्र है अपराध, विशेषकर अपराध से प्राप्त आय से संबंधित मामलों में।

44. इस समय पीएमएल की धारा 3 के मूल पर चर्चा करना उपयोगी होगा। अधिनियम, 2002 की धारा 3 तीन बातों को संबोधित करती है (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया या गतिविधि; और (iii) उत्पाद। जहां तक धारा द्वारा कवर किए गए व्यक्ति हैं 3 का संबंध है, वे हैं, (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करते हैं या (ii) जो जानबूझकर सहायता करते हैं; या (iii) जो जानबूझकर सहायता करते हैं एक पक्ष; या (iv) वे लोग जो वास्तव में शामिल हैं। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है संबंधित अनुभाग में छह अलग-अलग गतिविधियों की पहचान की गई है, अर्थात् (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) प्रक्षेपण; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, जिनमें से कोई भी एक पर्याप्त है अपराध। जहां तक उत्पाद का सवाल है, धारा 3 "की आय की पहचान करती है अपराध" या अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति प्रक्रिया या गतिविधि.

45. यह तर्क कि केवल अपराध की आय का सृजन पर्याप्त नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनाना वास्तव में बेतुका है। यह स्पष्ट है कि धारा 3 के अनुसार, छह प्रक्रियाएँ या गतिविधियाँ पहचानी गई हैं वे हैं, (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; और (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना। भले ही कोई व्यक्ति अपराध से अर्जित धन को अपने पास न रखे, लेकिन इसका उपयोग करता है, तो वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि इसका उपयोग करना धारा 3 में उल्लिखित छह गतिविधियों में से एक। वर्तमान मामले में अवैध खनन गतिविधियों से प्राप्त आय को विभिन्न तरीकों से सफेद किया जाता है विधियों, जिनमें से एक में अपने खातों में वृद्धिशील नकद जमा करना शामिल है बैंक

खातों में जमा राशि जमा करने के इरादे से यह काम टुकड़ों में किया जाता है। दूषित संपत्ति को बेदाग के रूप में प्रस्तुत करना।

46. आणविक संरचना को बनाने वाले इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए धारा 3 के अनुसार, यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। पिछले पैराग्राफ में विद्वान वकील के तर्क को ध्यान में रखा गया है याचिकाकर्ता के पास कोई तथ्य नहीं है।

47. इसके अतिरिक्त, जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, सबूत का भार याचिकाकर्ता पर है। यही बात विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में भी देखी गई है और विजय मामले में भी इसे बरकरार रखा गया है। मदनलाल चौधरी (2022) एससीसी ऑनलाइन 9291 रोहित टंडन बनाम में। प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एससीसी 46, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जब तक इसके विपरीत न हो साबित हो जाने पर, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन शोधन में संलिप्त होना तथा यह साबित करने का भार कि धन शोधन से प्राप्त आय अपराध में शामिल नहीं होने का आरोप अपीलकर्ता पर है।

48. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लिया गया है कि कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है तर्क पर विचार करते समय कहा जाता है कि प्रतिबद्ध है विपक्षी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया यह आवेदन-प्रवर्तन निदेशालय, इस न्यायालय का विचार है कि एनजीटी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, इसे भी इसके अंतर्गत लाया गया है। ईडी द्वारा जांच के दायरे में वह सामग्री कब आई थी अवैध खनन के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के तहत मामला दर्ज दंड संहिता (आईपीसी) की स्थापना की गई। ये अपराध आईपीसी के दायरे में आते हैं। अनुसूचित अपराध, इसलिए, पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए इस हद तक सामग्री कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411/414 के तहत अपराध कोड वहां पाया गया है, इस प्रकार, तर्क

जो दिया गया है यह तर्क कि इसमें कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

49. इसके अलावा, धारा 3 में उल्लिखित धन शोधन का अपराध पीएमएलए को विजयवाड़ा में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है। मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में कहा गया है कि धारा 3 इसकी पहुंच व्यापक है। अपराध की परिभाषा के अनुसार हर प्रक्रिया और गतिविधि को अपराध माना जाता है अपराध की आय से निपटने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और सीमित नहीं है औपचारिक रूप से दागी संपत्ति के एकीकरण के अंतिम कार्य के घटित होने तक अर्थव्यवस्था में धन शोधन का मामला बनता है। बेशक, प्राधिकरण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी धन शोधन की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब अपराध की आय मौजूद हो अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) का अर्थ और इसके अलावा यह किसी भी मामले में शामिल है प्रक्रिया या गतिविधि। अघोषित आय के अस्तित्व के मामले में भी नहीं और इसकी मात्रा के बावजूद, धारा के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा 2(1) (u) लागू नहीं होगा, जब तक कि संपत्ति को प्राप्त या प्राप्त नहीं किया गया हो अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का परिणाम। संपत्ति अवश्य होनी चाहिए अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा को स्पष्ट करना। जैसा कि देखा गया है, सभी या सम्पूर्ण अपराध में संपत्ति अनुसूचित अपराध से जुड़ी होती है अपराध की आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सभी संपत्तियां योग्य हैं धारा 2(1) (यू) के तहत "अपराध की आय" की परिभाषा अनिवार्य रूप से होगी अपराध गुण।

50. किसी भी संपत्ति को अपराध की आय मानने के लिए, उसे प्राप्त या अर्जित किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अनुसूचित अपराध। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अपराध की आय

इसमें न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि का परिणाम। खंड (यू) यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य भी आय माना जाएगा अपराध की।

51. इसके अतिरिक्त विधि का यह स्थापित प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध से असंबद्ध है। अनुसूचित अपराध, जानबूझकर आय को छिपाने में सहायता करता है अपराध करता है या जानबूझकर अपराध की आय के उपयोग में सहायता करता है, उस स्थिति में, वह पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया हो, पीएमएलए की धारा 3 के तहत आरोप लगाया गया है कि उसे आरोपी के रूप में दिखाया जाना चाहिए। अनुसूचित अपराध।

52. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि 2 वर्ष की देरी हुई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद ईसीआईआर दर्ज करने में ईडी की ओर से वर्षों का विलंब एक बड़ी गलती है। स्वार्थी तर्क। यदि ईडी तुरंत सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ले किसी पूर्वनिर्धारित अपराध के लिए एफआईआर दर्ज होने पर, ईडी पर आरोप लगाया जाएगा जल्दबाजी में काम करना। अगर वे कहानी के किसी खास चरण तक पहुंचने तक इंतजार करते हैं, तो ई.डी. देरी के लिए दोषी के रूप में उन पर हमला किया जाएगा। इसलिए, तथ्यों और फैसले के कुछ हिस्सों से उत्पन्न सभी कानूनी विवाद विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) ने इस आदेश की वैधता को चुनौती दी है। ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अस्थिर है।

53. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, प्रतिवादी ईडी ने दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर भारी भरोसा किया और उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेज, प्रथम दृष्टया धन शोधन के कथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता दर्शाना धारा 3 के तहत।

54. रोहित टंडन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 46 में माना गया है कि बयान अभियोजन पक्ष ईडी द्वारा दर्ज गवाहों के बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं धारा 50 के तहत इस तरह के बयानों से इस मामले में मजबूत मामला सामने आ सकता है। धन के अपराध के कमीशन में अभियुक्त की संलिप्तता काले धन को वैध
55. वर्तमान मामले में, जांच के दौरान यह पाया गया है कि धारा 50 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, जानबूझकर पार्टी के रूप में और वास्तव में सभी में शामिल है धन शोधन के अपराध से जुड़ी गतिविधियाँ। यानी, उपयोग या अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, और बेदाग के रूप में पेश करना या दावा करना संपत्ति।
56. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, "धन शोधन का अपराध" का अर्थ है जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर कोई पक्ष या वास्तव में किसी प्रक्रिया या गतिविधि से जुड़ी हुई है अपराध की आय जिसमें उसका छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना अपराध का दोषी होगा धन शोधन और उससे प्राप्त धन से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि अपराध एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अपराध की आय को छुपाकर या अपने कब्जे में रखकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका आनंद लेना या अधिग्रहण या उपयोग या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या इसका दावा करना किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति।

57. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न्यायिक घोषणा से यह स्पष्ट है कि किसी भी संपत्ति को अपराध की आय के रूप में गठित करने के लिए, इसे प्राप्त किया जाना चाहिए या किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया अनुसूचित अपराध से संबंधित है। स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि अपराध में संपत्ति शामिल है, न कि केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति बल्कि कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप। (यू) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य भी उसी प्रकार होगा, जैसा कि अपराध की आय और वर्तमान मामले में अनुच्छेद के अवलोकन से अभियोजन की शिकायत से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न केवल इसमें शामिल है बल्कि अपराध की आय प्राप्त करने में उसकी संलिप्तता प्रत्यक्ष है अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत।

58. इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके पास अवश्य होना चाहिए अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2023 लाइवलो (एससी) 1021.

59. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपराध अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध है अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में से संबंधित या उसमें आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था अनुसूचित अपराध से संबंधित। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है। उस तारीख पर निर्भर या उससे जुड़ा हुआ जिस दिन अनुसूचित अपराध या विधेय अपराध किया गया है। प्रासंगिक तारीख वह तारीख है

जिस दिन व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त है। इस प्रकार, किसी भी आपराधिक गतिविधि में व्यक्ति की संलिप्तता जैसे अपराध की आय को छिपाना, कब्जा करना, अर्जित करना, उपयोग करना इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना, अपराध माना जाएगा अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा जा सकता है तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, निदेशालय के मामले में न्यायालय प्रवर्तन (सुप्रा).

60. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, न्यायालय का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि भले ही पूरी ईसीआईआर ली जाएगी विचार में लिया जाए तो ऐसा कोई अपराध नहीं माना जाएगा जो दंडनीय अपराध हो। पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तत्व पूरी तरह से गलत हैं अभियोजन शिकायत में उल्लिखित आरोप के आलोक में।
61. जहां तक आरोपी पक्ष के विद्वान वकील की ओर से दी गई दलील का सवाल है, याचिकाकर्ता ने कहा कि ईडी ने पहले ही एक पूरक अभियोजन दायर कर दिया है याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस प्रकार जांच पूरी हो गई है। इसलिए याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हिरासत.
62. उक्त प्रस्तुतिकरण के जवाब में, ईडी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल यह तथ्य कि जांच पूरी हो गई है, जरूरी नहीं कि अधिकार प्रदान कर दे आरोपी/याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।
63. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क के संदर्भ में यह यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में मात्र आवेदन दाखिल करना ही पर्याप्त होगा। आरोप-पत्र जारी करने से परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता।

64. इसके अलावा, कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि आरोप-पत्र दाखिल करना कोई अपराध नहीं है। ऐसी परिस्थिति जो जमानत देने के लिए आरोपी के पक्ष में तराजू को झुकाती है और कहने की जरूरत नहीं कि आरोप पत्र दाखिल करने से किसी भी तरह से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध।

65. इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा। विरुपाक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया, (2017) 5 एससीसी 406 जिसमें पैराग्राफ 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस प्रकार है:

*"12. विद्वान ट्रायल जज द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि वे इस तथ्य से प्रभावित हुए हैं कि जब आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है तो यह परिस्थितियों में बदलाव के बराबर होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि आरोप-पत्र दाखिल करने से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप किसी भी तरह से कम नहीं होते। इसके विपरीत, आरोप-पत्र दाखिल करने से यह स्थापित होता है कि उचित जांच के बाद जांच एजेंसी ने सामग्री मिलने पर, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ट्रायल के लिए आरोप-पत्र पेश किया है।"*

66. इस प्रकार, स्थापित कानूनी प्रस्ताव पर गौर करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क स्वीकार्य नहीं है। कानून की आँख,

67. अब इस समय पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में यह न्यायालय यह उचित समझता है कि पीएमएल अधिनियम 2002 की धारा 45 के दायरे पर फिर से विचार करना। जैसा कि चर्चा की गई है पिछले पैराग्राफ में कहा गया है कि पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 में दोहरी छूट का प्रावधान है परीक्षण। विश्वास करने का पहला कारण यह है कि वहां पहुंचने के उद्देश्य से होना चाहिए निष्कर्ष यह है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला

नहीं बनता है और दूसरी शर्त यह है कि जमानत पर रहते हुए अभियुक्त द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

68. अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उपधारा (1) (ii) में प्रावधान है कि यदि सार्वजनिक अभियोजक ने आवेदन का विरोध किया, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि, संबंधित न्यायालय द्वारा पालन किया जाने वाला पैरामीटर यह है कि संतुष्टि है यह विश्वास करने के लिए वहां उपस्थित होना आवश्यक है कि ऐसा आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है अपराध किया है और जमानत पर रहते हुए अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

69. धारा 45 (2) में जमानत देने की सीमा पर विचार करने का प्रावधान है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सीमा के अलावा, अर्थात्, सीमा जो लाभ प्रदान करते समय विचार की जानी है धारा 438 या 439 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग Cr.PC को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

70. इस प्रकार, धारा 19 (1) के प्रावधान पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि, पीएमएल अधिनियम की धारा 45 (1) और 45 (2) के अनुसार इसमें दी गई शर्तें आवश्यक हैं शक्ति का प्रयोग करते हुए नियमित जमानत का लाभ प्रदान करते समय विचार किया जाना चाहिए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत प्रदान की गई, दोहरी शर्तों के अलावा अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

71. यह न्यायालय, इस आरोप के आधार पर, जैसा कि जांच के दौरान पाया गया है जांच में, यह विचार है कि पक्ष की ओर से जो तर्क दिया गया है याचिकाकर्ता ने कहा कि आय को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि होगा पिछले पैराग्राफ से पता चलता है कि जो धन प्राप्त हुआ है आरोपी व्यक्ति को इस याचिकाकर्ता

द्वारा रूट किया गया है और इसे स्थानांतरित कर दिया गया है आरोपी व्यक्तियों के खाते में।

72. पीएमएलए की धारा 45 जमानत को नियम और जेल को नियम बनाती है। यह अपवाद है। पीएमएलए व्यवस्था के तहत जेल जाना नियम है और जमानत देना नियम है। अपवाद। न्यायालय की जमानत देने की शक्ति आगे इस शर्त पर निर्भर करती है धारा 45(1) (i) के तहत निर्धारित दोहरी शर्तों की संतुष्टि और (ii) पीएमएलए। इस प्रक्रिया को करते समय न्यायालय को एक निर्णय लेना आवश्यक है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया यह निर्णय लिया गया है। पीएमएलए की धारा 45 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार हैं विश्वास करना" जिसका अर्थ है कि न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह पता लगाना होगा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से यह पता चलता है कि इसके पीछे उचित आधार हैं यह विश्वास करना कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है और कोई अपराध नहीं है जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा अपराध करने की संभावना है। हाल ही में, तरुण में कुमार बनाम सहायक प्रवर्तन निदेशालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1486, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

*"जैसा कि अब तक तय हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह मानने का हकदार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन*

शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन चारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम को पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए।”

73. इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया पीएमएलए की धारा 50, निम्नलिखित की आय के विरुद्ध जांच की प्रकृति की है: अपराध है और यह कोई जांच नहीं है और जो अधिकारी रिकॉर्ड कर रहे हैं बयान देने वाले पुलिस अधिकारी नहीं हैं और इसलिए इन बयानों पर भरोसा किया जा सकता है न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पीएमएलए के तहत कार्यवाही और बयान दर्ज करने को दर्जा दिया गया है पीएमएलए की धारा 50 (4) के तहत न्यायिक कार्यवाही। जब ऐसा होता है पीएमएलए की धारा 50 के तहत जो बयान दर्ज किए गए हैं और जो शिकायत में जिस तथ्य पर भरोसा किया गया है उसे महत्वपूर्ण सामग्री माना जाना चाहिए याचिकाकर्ता को फंसाना। इस दौरान जो बयान दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष की शिकायत की जांच की गई है और उनमें से कई बयानों में याचिकाकर्ता पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं। इसलिए, जो बयान दिए गए हैं दर्ज किया गया है और जिस पर भरोसा किया गया है, वह भी एक मजबूत सामग्री है प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध धन शोधन का अपराध स्थापित होता है।

74. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2020 में रिपोर्ट 13 एससीसी 337 सीआरपीसी की धारा 439

के तहत ट्रिपल टेस्ट लेकर आया है, जबकि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामले। संक्षेप में बताए गए सिद्धांत यह निर्णय नीचे उद्धृत है:

*"21. जमानत देने का अधिकार क्षेत्र प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग किया जाना चाहिए। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: (1) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रकृति; (B) गवाहों के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकी की आशंका की उचित आशंका; (iii) परीक्षण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना या उसके फरार होने की संभावना; (iv) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और स्थिति और परिस्थितियां जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; (v) जनता या राज्य का व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार।*

75. यह न्यायालय उपरोक्त चर्चाओं, तथ्यात्मक पहलुओं तथा साथ ही कानूनी स्थिति यह है कि इस न्यायालय द्वारा यह मानने का कोई कारण नहीं है याचिकाकर्ता उस धन के प्रबंधन में शामिल नहीं है जिसे आय कहा गया है अपराध की.

76. इस न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ध्यान में रखा है इस बात पर विचार करते हुए कि यद्यपि न्यायालय पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठा है विद्वान न्यायालय द्वारा चूंकि यह न्यायालय धारा 439 सीआरपीसी की शक्ति का प्रयोग कर रहा है लेकिन केवल उस दृष्टिकोण पर विचार करने के उद्देश्य से जो द्वारा लिया गया है विद्वान न्यायालय ने जमानत की प्रार्थना को खारिज करते हुए यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है जांच के दौरान सामने आई सामग्री के आधार पर उक्त राय के साथ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

**समानता के मद्दे पर:**

77. अब विद्वान वकील द्वारा उठाए गए समानता के आधार पर आते हैं याचिकाकर्ता, कानून में यह सुस्थापित है कि समता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए यदि तथ्य का मामला बिल्कुल समान है तभी समता का सिद्धांत लागू होगा आदेश पारित करने का मामला है लेकिन अगर दोनों में मतभेद है यदि तथ्य सही हों तो समता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

78. कानून का यह भी स्थापित अर्थ है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। मनमौजी तरीके से और निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा जमानत देना और केवल यह कहना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है जमानत यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जमानत देने का मामला है या नहीं समानता का आधार स्थापित किया गया है। इस संबंध में संदर्भ लिया जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रमेश भवन में दिए गए निर्णय से राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना, (2021) 6 एससीसी 230, जिसमें, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

*"25. हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश कानून के तहत उचित नहीं हैं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता तथा दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता से अनभिज्ञ हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508:], इस न्यायालय ने माना है कि समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और जमानत देने से पहले उसे परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 515, पैरा 17)*

\*17. इस मामले की बात करें तो पाया गया कि जब यह स्टैंड लिया गया कि दूसरा प्रतिवादी हिस्ट्रीशीटर है, तो उच्च न्यायालय के लिए हर पहलू की जांच करना जरूरी था और मनमाने ढंग से यह दर्ज नहीं करना चाहिए कि दूसरा प्रतिवादी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समानता का मामला नहीं था और इसलिए, आरोपित आदेश [मिटून पादय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031] स्पष्ट रूप से विवेक के गैर-उपयोग को उजागर करता है। इसके अलावा, तथ्य के तौर पर यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि दूसरे प्रतिवादी को कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप-पत्र दिया गया है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए, इस आदेश को निरस्त करने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसका अनुमोदन न्याय का उपहास करने के समान होगा, और तदनुसार हम इसे रद्द करते हैं।

26. मामले का एक और पहलू जिस पर जोर देने की जरूरत है, वह है जिस तरह से उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत को लागू किया है। अपने दो आदेशों द्वारा, दोनों दिनांक 21-12-2020 [प्रवीणभाई हीराभाई कोली बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2986], [योताभाई परबतभाई मकवाना बनाम गुजरात राज्य, 10] और खेता परबत कोली (ए-15) को जमानत दी। सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला (ए-13) के साथ समानता की मांग की गई थी, जिसे 22-10-2020 को जमानत दी गई थी (सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला बनाम गुजरात राज्य, 2020 किया) कि उसे "लाठी से लैस होने की समान भूमिका एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2985] इस आधार पर (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज सौंपी गई थी। फिर से, वनराज कोली (ए-16) को इस आधार पर जमानत

दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि प्रवीण (ए-10), खेता (ए-15) और सिद्धराजसिंह (ए-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समानता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय समानता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि जमानत पाने वाला दूसरा आरोपी भी इसी तरह के हथियार से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। समानता के पहलू को तप करने में, आरोपी से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लेखित एक सरलीकृत आकलन पर समानता के आधार पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता है।”

79. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निदेशालय प्रवर्तन अधिनियम (सुप्रा) जिसमें पैराग्राफ-18 में यह माना गया है कि समता कानून नहीं है और समता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करना जिसका आवेदन विचाराधीन है सोच-विचार।

80. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में आगे कहा गया है कि जमानत के मामले में समानता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए लेकिन समान रूप से इसे लागू किया गया है इसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी नकारात्मक समानता नहीं हो सकती, जिसका अर्थ है कि, यदि किसी सह-आरोपी को मामले पर विचार किए बिना जमानत दे दी गई है तथ्यात्मक पहलू पर या इस आधार पर कि वह उचित नहीं है, तो केवल इसलिए कि सह-आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समानता के सिद्धांत को इस आधार पर आकर्षित करें कि अनुच्छेद 14 सकारात्मक

परिकल्पना करता है समानता और नकारात्मक समानता नहीं। तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ, अर्थात्, उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ-19, इस प्रकार है:

*"19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह के गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।"*

81. अब यह न्यायालय समता के मुद्दे पर निर्णय करने के लिए तात्कालिक तथ्यों पर विचार कर रहा है। पूर्वोक्त निर्धारित कानूनी अनुपात की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कानून की पूर्वोक्त स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहां संदर्भित करना उचित समझता है वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में अलग-अलग तथ्य हैं कि पशुपति यादव जो वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता हैं।
82. इस न्यायालय को निम्नलिखित के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है: पशुपति यादव उर्फ पशुपत यादव, अभियोजन की शिकायत में जो है पूरक हलफनामे के माध्यम से वर्तमान याचिका के साथ संलग्न कर दिया गया है।
83. इस प्रकार पशुपति यादव उर्फ पशुपत यादव पर मुख्य आरोप है जिसके साथ समानता का दावा किया जा रहा है, वह मिलीभगत से काम कर रहा है और एक करीबी के रूप

में काम कर रहा है अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ जुड़ना जो मादक पदार्थ का व्यापार और संचालन कर रहे थे बिना किसी रॉयल्टी राशि का भुगतान किए अवैध रूप से पत्थर के चिप्स का खनन करना। उक्त खाते में 1.23 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई। सिंहवाहनी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 22.04.2021 से 16.03.2022 तक अलग-अलग खजूर।

84. किन्तु इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उक्त याचिकाकर्ता की बीमारी और उसके नाम को भी ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अनुसूचित अपराध से संबंधित मामलों में से केवल एक में शामिल है और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अपराध की आय उसके किसी भी सदस्य से जब्त नहीं की गई है खाते में जमा राशि बढ़ा दी गई है, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

85. लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से अलग है और अभियोजन पक्ष की शिकायत से यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अधिग्रहण द्वारा धन शोधन की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, अपराध की आय को कब्जे में रखना, छिपाना, स्तरित करना और उसे इस रूप में पेश करना बेदाग संपत्ति। उसने दूसरे आरोपी को उसकी अवैध गतिविधियों में सहायता की है अवैध खनन से संबंधित। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्ति ने अवैध खनन से संबंधित अपराध से प्राप्त 4,28,81,865/- रुपये की आय और उसका उपयोग खरीदने के लिए किया गया नव यतायत समिति द्वारा नियंत्रित नौकाओं के संचालन की निविदा, साहेबगंज। जांच में यह बात सामने आई है कि उक्त कंपनी का संचालन समिति को सह-आरोपी पंकज मिश्रा और दाहू यादव द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है। साथ ही वर्तमान याचिकाकर्ता। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता सिंहवाहनी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में साझेदार है। सिंहवाहनी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का विवरण विशाल भंडार को दर्शाता है लगातार

आधार पर नकदी की मात्रा जो कोई और नहीं बल्कि अपराध की आय है अवैध खनन के कृत्य से उत्पन्न।

86. अतः उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का विवरण पशुपति यादव @ पशुपत यादव से भिन्न है आरोप के अनुसार और यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी की जमानत पंकज मिश्रा जिनके साथ वर्तमान याचिकाकर्ता की निकटता है आरोप लगाया गया है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है बीए संख्या 10861/2023 में दिनांक 08.02.2024 का आदेश पारित किया गया। इसके अलावा जमानत एक अन्य आरोपी प्रेम प्रकाश की याचिका भी खारिज कर दी गई है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ।

87. समता के सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय का निर्णय के अनुसार यह विचार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तरुण कुमार (सुप्रा) में दिया गया निर्णय कि समानता का लाभ तभी दिया जाएगा जब याचिकाकर्ता के तथ्य/संलिप्तता एक समान हो। उन व्यक्तियों के समान जिनके साथ समानता का दावा किया जा रहा है।

88. यह न्यायालय, याचिकाकर्ता की संलिप्तता की चर्चा के आधार पर, अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के संबंध में, न्यायालय का यह विचार है कि याचिकाकर्ता का मामला पशुपति यादव के मामले से बिल्कुल अलग है। पशुपत यादव के करीबी सहयोगी होने के कारण याचिकाकर्ता की मिलीभगत पंकज मिश्रा है।

89. अन्यथा भी, दिए गए निर्णय का सहारा लेकर यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निदेशालय के मामले में प्रवर्तन, (सुप्रा) कि यदि जमानत का लाभ न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है जो जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के विपरीत प्रतीत होता है फिर इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक की परिकल्पना नहीं करता है समानता, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि पशुपति यादव @ Pashupat yadav पर आरोप है कि यह फिट केस नहीं है,

केवल इसलिए कि पशुपति यादव उर्फ पशुपत यादव को जमानत दे दी गई है याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत से भी रिहा किया जा सकता है, इस प्रकार, उक्त लाभ स्वीकार करने योग्य नहीं है।

90. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है। आर्थिक अपराध और आर्थिक अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं इसलिए जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जैसा कि कहा गया है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सी.बी. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1., (2013) 7 एससीसी 439 में रिपोर्ट किया गया। तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ देखें उपर्युक्त निर्णयों का सारांश निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

*"34. आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजिश वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।"*

91. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निमगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई के मामले में, (2013) 7 एससीसी 466 में रिपोर्ट में पैराग्राफ 23 में उसी दृष्टिकोण को दोहराया गया है 25 जो इस प्रकार है:

*"23. दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में देश में सफेदपोश अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जिसने देश के आर्थिक ढांचे के ताने-बाने को प्रभावित किया है। निस्संदेह, आर्थिक अपराधों का पूरे देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल (1987) 2 एससीसी 364: 1987 एससीसी (सीआरआइ) 364] में, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष*

द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 5)

"5. .... अगर राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो पूरा समुदाय दुखी है। भावनाओं के आवेश में आकर हत्या की जा सकती है। एक आर्थिक अपराध शांत गणना और जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, भले ही समुदाय के लिए इसका क्या परिणाम हो। समुदाय के हितों की अनदेखी केवल इस कीमत पर ही की जा सकती है कि समुदाय का भरोसा और विश्वास खत्म हो जाए कि यह प्रणाली निष्पक्ष तरीके से न्याय करेगी और उन वर्गों की आलोचना से जरे बिना न्याय करेगी जो सफेदपोश अपराधों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना उदार नजर से देखते हैं।"

24. जमानत देते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि के लिए दंड की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियों, मुकदमें में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार ध्यान में रखने होते हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जमानत देने के उद्देश्य से विधानमंडल ने "साक्ष्य" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से निपटने वाली अदालत केवल इस बारे में खुद को संतुष्ट कर सकती है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होगा या नहीं। इस स्तर पर, अभियुक्त

के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाले साक्ष्य होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

25. आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजियों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

92. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि जमानत देने के मुद्दे पर फैसला करते समय गंभीर आर्थिक अपराधों में इस न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रकृति और कथित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

93. यह न्यायालय, याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध उपरोक्त सामग्री को देखते हुए, न्यायालय का विचार है कि ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध में, जो सामग्री के सामने, जमानत देने के सिद्धांत को लागू करते हुए जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने के सिद्धांत का पालन किया जाना है, आरोप की प्रकृति चूंकि मामला गंभीर है, इसलिए यह जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।

94. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता इस शर्त को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है। अदालत ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है कथित अपराधों के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र की गई है। प्रतिवादी-ईडी को यह दिखाने के लिए कि वह कथित मामले में प्रथम दृष्टया दोषी है अपराध।

95. उपर्युक्त कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह पता लगाने में विफल रहा है विशेष

मामले में जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करना तथा तथ्यों पर विचार करना जमानत के निर्णय के लिए विचार किए जाने वाले आवश्यक पैरामीटर, यह न्यायालय अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं पाता जमानत देने के लिए।

96. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रार्थना की गई हो जमानत मंजूर की जानी है, अतः तत्काल आवेदन खारिज किया जाता है।

97. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में व्यक्त विचार प्रथम दृष्टया उचित हैं। केवल जमानत के मामले पर विचार किया जाएगा।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

सौरभ

एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।